न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 15/2024

1. सत्यवीरसिंह पुत्र मेदाराम जाति जाट निः न्यागल छोटी तहः राजगढ़ जिला चुरू

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–09.02.24

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 30 बीएलडी मु0नं0 137/59 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 है0 अ0क0 भूमि विशेष आवंटन में दिनांक 30.04.1999 को आवंटित हुई थी। गिरदावरी सम्वत् 2054–2057 में इन्तकाल सं0 32 द्वारा दिनांक 24.07.1999 को प्रार्थी का नाम सहवन व लिपिकीय त्रुटि से सत्यवीरसिंह पुत्र प्रेमाराम दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी सहवन व लिपिकीय त्रुटि से दर्ज नाम सत्यवीर पुत्र प्रेमाराम के बजाय सत्यवीरसिंह पुत्र मेदाराम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत छायाप्रति आवंटन आदेश, 35 प्रतिशत राशि जमा का नोटिस, आवंटन कीमत जमा के चालान, आधारकार्ड, पैनकार्ड, प्रमाणित प्रति गिरदावरी में प्रार्थी का नाम सत्यवीरसिंह पुत्र मेदाराम अंकित है। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादगत भूमि चक 30 बीएलडी मु0नं0 137/59 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 है0 अ0क0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सत्यवीर पुत्र प्रेमाराम की जगह सत्यवीरसिंह पुत्र मेदाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 30 बीएलडी मु0नं0 137/59 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 है0 अ0क0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सत्यवीर पुत्र प्रेमाराम की जगह सत्यवीरसिंह पुत्र मेदाराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)